प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

FORM NO. 03
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर जिला भीलवाड़ा

अनवान

हाजी मोहम्मद बनाम राजस्थान सरकार [illegible]

किस्म मुकदमा धारा 136 LRAct मु०नं० 15/22 सन [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
18/5/22	प्रार्थी हाजी मोहम्मद पि. शहाबुद्दीन जाति नीलगर नि: खोराणा के द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 136 LR Act व धारा 88 RTA के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खोराणा मे वादी की पुश्तैनी आराजियात खाता सं. 527 मे दर्ज कुल किता 14 रकबा 3.75 हैक्ट. भूमि एवं खा. सं. 526 मे स्थित किता 1 रकबा 0.01 हैक्ट. भूमि जे.मु. खड्डा दर्ज रिकार्ड है) साक्ष्य रूप मे नकल जमाबंदी (उक्त भूमि मे वादी के पिता [illegible] की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामा० सं. 344 दिनांक 05.07.2007 को निर्विति किया गया जिसमे वादी का नाम खेवतधर का नाम अलाउद्दीन दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का सही नाम हाजी मोहम्मद है। वादी के सभी सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली का बिल, बैंक पास-बुक इत्यादि मे हाजी मोहम्मद दर्ज है जिससे वादी को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है एवं सरकारी सहायता प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः नाम अलाउद्दीन के बजाय हाजी मोहम्मद [illegible] किया जावे। वाद पत्र के आधार [illegible] रजिस्टर्ड किया जाकर तहसीलदार रायपुर से जानकारी ली गयी। PTO	हाजी मोहम्मद [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:25:22 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो इस हुक्म की बाबत जारी हुए

जिससे तहसीलदार शाहपुरा फैसलाबाद द्वारा दौराने शिविर ग्र. ग्रामणा आधार होकर निवेदन किया कि वाद से सरकार को हित नहीं है। कोई आपत्ति नहीं की। वादी के सह खातेदारों से दरियाफ्त कर अग्रिम उचित कार्यवाही करावें।

वादी की ओर से वाद पत्र के समर्थन मे वादी के भाई सहखातेदार दीदारदीन एवं स्वतन्त्र गवाह के रूप मे श्री रऊफअहमद पि. मोहम्मद रफीक जाति रंगरेज के शपथ-पत्र प्रस्तुत किये गये। और दोनो शपथ-पत्र मे यह अंकित किया कि हाजी-मोहम्मद का नाम रिकार्ड मे अलाउदीन अंकित हो गया है। आज इनका घर का नाम है, सरकारी दस्तावेज मे इनका नाम हाजी मोहम्मद है। अलाउदीन और हाजी-मोहम्मद एक ही व्यक्ति है। राजस्व रिकार्ड मे अलाउदीन के बजाय हाजी-मोहम्मद दर्ज किया जाना उचित बताया।

उपरोक्त विवरण के अनुसार मैंने पत्रावली मे वर्णित समस्त दस्तावेजों का अध्ययन किया तो पाया कि हाजी-मोहम्मद व अलाउदीन नाम का एक ही व्यक्ति है। राजस्व रिकार्ड मे अलाउदीन के बजाय अन्य सरकारी दस्तावेजों के अनुसार हाजी मोहम्मद दर्ज कराना चाहता है। इस बात की ताईद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज राशन कार्ड, आधार-कार्ड, बिजली का बिल आदि से होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:25:22 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

व सह खातेदार श्री दीदारदीन पि. शाहबुद्दीन एवं स्वतन्त्र गवाह श्री रऊफ अहमद पि. मोहम्मद रफीक के शपथ पत्र से भी वाद प्रमाणित होता है। उक्त नाम संशोधन से राज-हित प्रभावित नही होता है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी अपने वाद को साबित करने मे सफल रहने से वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA व LR Act की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम बोराणा की जमाबन्दी सेरवान संवत 2076-2079 के खा. सं. 526, एवं 527 में दर्ज खातेदार अलाउद्दीन पि. शाहबुद्दीन भील-गर के बजाय हाजी मोहम्मद पि. शाहबुद्दीन जाति नीलगर दर्ज किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हस्ताक्षर)
18.05.2022
उपखण्ड अधिकारी,
(सहायक कलक्टर) ...., भीलवाडा।

(मुहर: कार्यालय उपखण्ड अधिकारी ... (राज.))

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:25:22 IST
Reason: SelfAttested